



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-<sup>2280</sup>~~2300~~/JH/12/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-2301/JH/58/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-1147/JH/5/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-561/JH/22/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-118/JH/6/2021-ESDW-RU-IV

दिनांक : 18.12.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार  
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी  
जिला - रामगढ़  
डीसी कार्यालय,  
छत्तर मांडू, रामगढ़ - 829122  
E.mail: dc-ramgarh@gov.in

विषय: झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले से प्राप्त शिकायतों से संबंधित सात मामलो के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2024 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई/की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer  
Email ID : [hari.rammeena@ncst.nic.in](mailto:hari.rammeena@ncst.nic.in)

प्रति, सूचनार्थ:

- (i) श्री कमलेश गंझू, ग्राम/पोस्ट-बंजी, थाना-मांडू,  
जिला-रामगढ़, झारखण्ड-825314, मोबाइल न. :6200599717

- (ii) श्री महेश मुंडा एवं लूसु मुंडा  
पुत्र श्री दुरुवा मुंडा, ग्राम-रोला,टोला,मूसला जरा,पोस्ट-मगनपुर,  
प्रखण्ड एवं थाना-गोला, जिला-रामगढ़, झारखंड मोबाइल नं. :6204143088
- (iii) श्री रमेश करमाली, छितरपुर प्रखंड अध्यक्ष,  
ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स / बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल  
गांव व पोस्ट सांडी, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़, झारखंड- 829150, मोब :7858085205
- (iv) श्रीमती एतवारी देवी, पति - स्व० बाबुराम मांझी, ग्राम - बंजी (करमटीया) पो० बंजी,  
थाना - मांझू, रामगढ़, झारखंड - 825314
- (v) श्री सुभाष बेदिया, ग्राम-चापरी,पोस्ट-बडकाचुम्बा,  
पी,एस-गिडवी, जिला-रामगढ़ (झारखंड), मोबा नं-9955747102.
- (vi) श्री बेनी राम मांझी, पिता स्व. बाबूलाल मांझी, ग्राम - बंजी(करमटीया),  
पोस्ट - बंजी, थाना - माण्डू, जिला - रामगढ़, झारखंड - 825314
- (vii) श्री चरका गंझू, पुत्र स्व. श्री बढन गंझू, ग्राम-पोस्ट-बंजी,  
थाना-मांझू, जिला रामगढ़, झारखण्ड-825314.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)  
NIC for uploading





सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले से प्राप्त शिकायतों से सम्बन्धित सात मामलो में सुनवाई के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीया सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 16.12.2024  
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	प्रार्थी का नाम	सम्बन्धित प्राधिकारीगण
1.	NCST/DEV-2280/JH/57/2023-ESDW	श्री कमलेश गंडू	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
2.	NCST/DEV-2301/JH/58/2023-ESDW	श्री महेश मुंडा एवं लूसु मुंडा	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
3.	NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW	श्री रमेश करमाली	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
4.	NCST/DEV-1147/JH/5/2022-ESDW	श्रीमती एतवारी देवी	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
5.	NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW	श्री सुभाष बेदिया	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
6.	NCST/DEV-561/JH/22/2022-ESDW	श्री बेनी राम मांझी	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड
7.	NCST/DEV-118/JH/6/2021-ESDW	श्री चरका गंडू	उपायुक्त, जिला रामगढ़ झारखण्ड


उपरोक्त सभी मामलों में आयोग द्वारा उपायुक्त, जिला रामगढ़, झारखण्ड को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु नोटिस भेजे गए थे किन्तु उपायुक्त जिला रामगढ़ की तरफ से उक्त मामलों पर आयोग को संतोषजनक रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई तत्पश्चात्

आयोग द्वारा उक्त सभी मामलों में दिनांक 16.12.2024 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई तय की गई तदुसार उपायुक्त, जिला रामगढ को सिटिंग नोटिस दिनांक 10.12.2024 जारी किए गए

मामलों में उपायुक्त, जिला रामगढ आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने उनकी तरफ से अंचल पदाधिकारी, मांडू को नामित करके भेजा मामले में शिकायतकर्तागण सुनवाई में उपस्थित हुए

मामले में सुनवाई के दौरान अंचल पदाधिकारी से विषयों के तथ्यों व वस्तुस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया की वह प्रश्रगत मामलों में तथ्यात्मक जानकारी देने में सक्षम नहीं है शिकायतकर्ताओं से सुनने के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

- I. मामले में उपायुक्त, रामगढ द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए उपायुक्त के इस उदासीन व्यवहार को आयोग ने गंभीरता से लिया है
- II. कथित मामलो में आयोग में होने वाली आगामी सुनवाई में उपायुक्त, रामगढ को उपस्थित होना अनिवार्य है तदुसार उनको "समन" जारी किया जाए
- III. मामलों में उपायुक्त, रामगढ द्वारा आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट(समर्थित/ संगत दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत नहीं की गई इससे प्रतीत होता है की उनका व्यवहार अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति सकारात्मक नहीं है
- IV. उपरोक्त सभी सात मामलों में दिनांक 27.12.2024 को उपायुक्त, रामगढ को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु "समन" जारी किया जाए ताकि मामलो में पुन सुनवाई कर अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों को राहत न्याय प्रदान की जा सके



(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi



NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

<sup>2280</sup>  
NCST/DEV-1308/JH/12/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-2301/JH/58/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-1147/JH/5/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-561/JH/22/2022-ESDW-RU-IV  
NCST/DEV-118/JH/6/2021-ESDW-RU-IV

List of participants

**Officers from National Commission for Scheduled Tribes**

Dr. Asha Lakra (In Chair)  
Hon'ble Member

Shri Surat Singh,  
Director

Shri H.R. Meena  
Research Officer

Shri Rahul  
Investigator

Shri Rahul Yadav  
Legal Consultant

**Officers from Deputy Commissioner, Distt. Ramgarh, Jharkhand**

Shri Vimal Kumar Singh  
Circle officer, Mandu

**Petitioners**

Shri Ramesh Kamali  
Subhash Bedia

Through Video Conference